प्राथमिकता

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/ स0प0 /रु0 01 करोड/16-17/ 159 **/ वाणिज्य कर**

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक २२ अप्रैल,2016

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर
वाराणसी प्रथम / द्वितीय, इलाहाबाद, फैजाबाद व गोरखपुर जोन।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)-मु0/स0प0/राजस्व संग्रह समीक्षा /15-16/2552 दिनांक 21-01-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु सं0-2 में वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा वर्ष 2013-14 एव वर्ष 2014-15 में रु0 01 करोड़ से अधिक अपवंचित बिक्रयधन के जितने मामलें प्रकाश में लाये गये है उन मामलों में संसूचित अपवंचित बिक्रयधन व टैक्स के सापेक्ष करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा सृजित मांग वं वसूली का अनुश्रवण करके अद्यतन स्थिति से मुख्यालय को अवगत कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है।

दिनॉक 11-04-2016 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में इस बिन्दु पर की गयी चर्चा के उपरान्त कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा पुन: यह निर्देश दिये गये है कि वर्ष 2008 से माह जुलाई 2015 तक के ऑकडे मगाकर उनकी गहन समीक्षा करके वसूली की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जाये। निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2008 से केवल गाजियाबाद प्रथम/ द्वितीय , कानपुर प्रथम/ द्वितीय, आगरा , गोरखपुर व फैजाबाद जोन द्वारा ही आधी-अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करायी गयी है। अवशेष जोनों द्वारा मात्र दो वर्षो की त्रुटिपूर्ण सूचनाएँ प्रेषित करते हुए अपेक्षित सूचनाएं उपंलब्ध नही कराई गयी है।

वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 के प्राप्त वि0अनु0शा0 आंकडों की मुख्यालय स्तर पर की गयी समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि फील्ड से प्रेषित मामलों की संख्या एवं टर्नओवर में भारी विसंगति है, क्योकि एस0आई0बी0 माड्यूल के अनुसार में वर्ष 2014-15 में रु0-01 करोड से अधिक अपवंचन सम्बधी कुल मामलों की संख्या 1334 तथा अपवंचित विक्रय धन रु0-22892.00 करोड दर्शित है जबकि वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार दोनों वर्षो के मामलों को मिलाकर कुल संख्या 1640 तथा अपवंचित विक्रय धन रु0 22293.00 करोड बताया गया है जो कि भारी विसंगति को स्पष्ट करता है।

खेद का विषय है कि उपरोक्त अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अप्रैल माह की मासिक बैठक दिनॉक 11-04-2016 तक अधिकांश जोन से 01 करोड से अधिक संसूचित करापवंचित मामलों की सही सूचना उपंलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त से स्पष्ट है कि फील्ड के अधिकांश वि0अनु0शा0 अधिकारी अपने कर्तव्यों एवं मुख्यालय के दिये गये निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है तथा वि0अनु0शा0 कार्यों हेतु पर्यवेक्षक अधिकारी के रुप में आपका समग्र रुप से अनुश्रवण एवं निर्देशन भी शिथिल परिलक्षित हो रहा है।

अत: मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा किये गये कार्यो की क्षेत्रवार निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा मुख्यालय में कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. वर्ष 2008 से माह जुलाई 2015 के मध्य वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा प्रकाश में लाये गये रु0 01 करोड से अधिक संसूचित अपवंचित विक्रय धन के मामलों में कृत कार्यवाही एवं वसूली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।
2. वि0अनु0शा0 माड्यूल लागू होने के उपरान्त वर्ष 2015-16 में 90 दिन के उपरान्त बिलम्व से भेजे गये प्रतिवेदनों में अनुमति लिये जाने विषयक आदेश मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने वाले मामलों की समीक्षा।
3. अभिसूचना तंत्र विकसित कर करापवंचन सम्बधी मामलो में वि0 अनु0शा0 इकाईयो द्वारा जमा कराये गये कर / अर्थदण्ड के मामलों की संख्या एवं धनराशि की समीक्षा।
4. समन्वय बैठक के आधार पर पाये गये करापवंचन सम्बधी मामलों की संख्या एवं कार्यवाही की परिणामो की समीक्षा।

5. वर्ष 2015-16 में सम्भागवार करापवंचन सम्बधी दो विशिष्ट प्रकरण में कृत कार्यवाही एवं तत्काल जमा करायी गयी धनराशि की समीक्षा।

उपरोक्त बिन्दुओ के सम्बन्ध आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने पर्यवेक्षण में वांछित सूचनाएं संकलित कराकर जोन के एक ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के साथ सम्भाग के डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को अपेक्षित सूचनाएँ / विवरण के साथ **दिनॉक 03-05-2016** को मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें ताकि वि0अनु0शा0 कार्यो की विस्तृत समीक्षा कर वि0अनु0शा0 कार्यो में अपेक्षित रुचि न रखने वाले तथा निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

29/4/16

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश,।

पृष्ठाकन पत्र संख्या व दि0 उक्त।

प्रतिलिपि- सम्बन्धित ज़ोनल एडीशनल कमिश्नर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश,।

प्राथमिकता

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/ स0प0 /रु0 01 करोड/16-17/ 160 **/ वाणिज्य कर**

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 22 अप्रैल,2016

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर
लखनऊ प्रथम / द्वितीय, कानपुर प्रथम / द्वितीय , बरेली, मुरादाबाद ,
व झांसी जोन।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)-मु0/स0प0/राजस्व संग्रह समीक्षा /15-16/2552 दिनांक 21-01-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु सं0-2 में वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा वर्ष 2013-14 एव वर्ष 2014-15 में रु0 01 करोड़ से अधिक अपवंचित बिक्रयधन के जितने मामलें प्रकाश में लाये गये है उन मामलों में संसूचित अपवंचित बिक्रयधन व टैक्स के सापेक्ष करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा सृजित मांग वं वसूली का अनुश्रवण करके अद्यतन स्थिति से मुख्यालय को अवगत कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

दिनॉक 11-04-2016 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में इस बिन्दु पर की गयी चर्चा के उपरान्त कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा पुन: यह निर्देश दिये गये है कि वर्ष 2008 से माह जुलाई 2015 तक के ऑकडे मगाकर उनकी गहन समीक्षा करके वसूली की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जाये। निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2008 से केवल गाजियाबाद प्रथम/ द्वितीय , कानपुर प्रथम/ द्वितीय, आगरा , गोरखपुर व फैजाबाद जोन द्वारा ही आधी-अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करायी गयी है। अवशेष जोनों द्वारा मात्र दो वर्षो की त्रुटिपूर्ण सूचनाएँ प्रेषित करते हुए अपेक्षित सूचनाएं उपंलब्ध नही कराई गयी हैं।

वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 के प्राप्त वि0अनु0शा0 आंकडों की मुख्यालय स्तर पर की गयी समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि फील्ड से प्रेषित मामलों की संख्या एवं टर्नओवर में भारी विसंगति है, क्योकि एस0आई0बी0 माड्यूल के अनुसार में वर्ष 2014-15 में रु0 01 करोड से अधिक अपवंचन संम्बधी कुल मामलों की संख्या 1334 तथा अपवंचित विक्रयधन रु0 22892.00 करोड दर्शित है जबकि वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार दोनों वर्षो के मामलों को मिलाकर कुल संख्या 1640 तथा अपवंचित विक्रय धन रु0 22293.00 करोड बताया गया है जो कि भारी विसंगति को स्पष्ट करता है।

खेद का विषय है कि उपरोक्त अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अप्रैल माह की मासिक बैठक दिनॉक 11-04-2016 तक अधिकांश जोन से 01 करोड से अधिक संसूचित करापवंचित मामलों की सही सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त से स्पष्ट है कि फील्ड के अधिकांश वि0अनु0शा0 अधिकारी अपने कर्तव्यों एवं मुख्यालय के दिये गये निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है तथा वि0अनु0शा0 कार्यों हेतु पर्यवेक्षक अधिकारी के रुप में आपका समग्र रुप से अनुश्रवण एवं निर्देशन भी शिथिल परिलक्षित हो रहा है।

अत: मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा किये गये कार्यो की क्षेत्रवार निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा मुख्यालय में कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. वर्ष 2008 से माह जुलाई 2015 के मध्य वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा प्रकाश में लाये गये रु0 01 करोड से अधिक संसूचित अपवंचित विक्रय धन के मामलों में कृत कार्यवाही एवं वसूली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।
2. वि0अनु0शा0 माड्यूल लागू होने के उपरान्त वर्ष 2015-16 में 90 दिन के उपरान्त बिलम्व से भेजे गये प्रतिवेदनों में अनुमति लिये जाने विषयक आदेश मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने वाले मामलों की समीक्षा।
3. अभिसूचना तंत्र विकसित कर करापवंचन सम्बधी मामलो में वि0 अनु0शा0 इकाईयो द्वारा जमा कराये गये कर / अर्थदण्ड के मामलों की संख्या एवं धनराशि की समीक्षा।
4. समन्वय बैठक के आधार पर पाये गये करापवंचन सम्बधी मामलों की संख्या एवं कार्यवाही की परिणामो की समीक्षा।

5. वर्ष 2015-16 में सम्भागवार करापवंचन सम्बधी दो विशिष्ट प्रकरण में कृत कार्यवाही एवं तत्काल जमा करायी गयी धनराशि की समीक्षा।

उपरोक्त बिन्दुओ के सम्बन्ध आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने पर्यवेक्षण में वांछित सूचनाएं संकलित कराकर जोन के एक ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के साथ सम्भाग के डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को अपेक्षित सूचनाएँ / विवरण के साथ **दिनॉक 04-05-2016** को मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें ताकि वि0अनु0शा0 कार्यो की विस्तृत समीक्षा कर वि0अनु0शा0 कार्यो में अपेक्षित रुचि न रखने वाले तथा निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, ।

पृष्ठाकन पत्र संख्या व दि0 उक्त।

प्रतिलिपि- सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, ।

प्राथमिकता

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/ स0प0 /रु0 01 करोड/16-17/ /61/ **/ वाणिज्य कर**

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 22 अप्रैल,2016

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर
गाजियाबाद प्रथम जोन / द्वितीय, नोएडा, आगरा, इटावा, अलीगढ, सहारनपुर
व मेरठ जोन।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)-मु0/स0प0/राजस्व संग्रह समीक्षा /15-16/2552 दिनांक 21-01-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु सं0-2 में वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा वर्ष 2013-14 एव वर्ष 2014-15 में रु0 01 करोड़ से अधिक अपवंचित बिक्रयधन के जितने मामलें प्रकाश में लाये गये है उन मामलों में संसूचित अपवंचित बिक्रयधन व टैक्स के सापेक्ष करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा सृजित मांग वं वसूली का अनुश्रवण करके अद्यतन स्थिति से मुख्यालय को अवगत कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है।

दिनॉक 11-04-2016 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में इस बिन्दु पर की गयी चर्चा के उपरान्त कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा पुन: यह निर्देश दिये गये है कि वर्ष 2008 से माह जुलाई 2015 तक के ऑकडे मगाकर उनकी गहन समीक्षा करके वसूली की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जाये। निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2008 से केवल गाजियाबाद प्रथम/ द्वितीय , कानपुर प्रथम/ द्वितीय, आगरा , गोरखपुर व फैजाबाद जोन द्वारा ही आधी-अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करायी गयी है। अवशेष जोनों द्वारा मात्र दो वर्षो की त्रुटिपूर्ण सूचनाएँ प्रेषित करते हुए अपेक्षित सूचनाएं उपंलब्ध नही कराई गयी हैं।

वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 के प्राप्त वि0अनु0शा0 आंकडों की मुख्यालय स्तर पर की गयी समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि फील्ड से प्रेषित मामलों की संख्या एवं टर्नओवर में भारी विसंगति है, क्योकि एस0आई0बी0 माड्यूल के अनुसार में वर्ष 2014-15 में रु0-01 करोड से अधिक अपवंचन सम्बधी कुल मामलों की संख्या 1334 तथा अपवंचित विक्रय धन रु0-22892.00 करोड दर्शित है जबकि वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार दोनों वर्षो के मामलों को मिलाकर कुल संख्या 1640 तथा अपवंचित विक्रय धन रु0 22293.00 करोड बताया गया है जो कि भारी विसंगति को स्पष्ट करता है।

खेद का विषय है कि उपरोक्त अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अप्रैल माह की मासिक बैठक दिनॉक 11-04-2016 तक अधिकांश जोन से 01 करोड से अधिक संसूचित करापवंचित मामलों की सही सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त से स्पष्ट है कि फील्ड के अधिकांश वि0अनु0शा0 अधिकारी अपने कर्तव्यों एवं मुख्यालय के दिये गये निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है तथा वि0अनु0शा0 कार्यो हेतु पर्यवेक्षक अधिकारी के रुप में आपका समग्र रुप से अनुश्रवण एवं निर्देशन भी शिथिल परिलक्षित हो रहा है।

अत: मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा किये गये कार्यो की क्षेत्रवार निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा मुख्यालय में कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. वर्ष 2008 से माह जुलाई 2015 के मध्य वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा प्रकाश में लाये गये रु0 01 करोड से अधिक संसूचित अपवंचित विक्रय धन के मामलों में कृत कार्यवाही एवं वसूली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।
2. वि0अनु0शा0 माड्यूल लागू होने के उपरान्त वर्ष 2015-16 में 90 दिन के उपरान्त बिलम्व से भेजे गये प्रतिवेदनों में अनुमति लिये जाने विषयक आदेश मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने वाले मामलों की समीक्षा।
3. अभिसूचना तंत्र विकसित कर करापवंचन सम्बधी मामलो में वि0 अनु0शा0 इकाईयो द्वारा जमा कराये गये कर / अर्थदण्ड के मामलों की संख्या एवं धनराशि की समीक्षा।
4. समन्वय बैठक के आधार पर पाये गये करापवंचन सम्बधी मामलों की संख्या एवं कार्यवाही की परिणामो की समीक्षा।

5. वर्ष 2015-16 में सम्भागवार करापवंचन सम्बधी दो विशिष्ट प्रकरण में कृत कार्यवाही एवं तत्काल जमा करायी गयी धनराशि की समीक्षा।

उपरोक्त बिन्दुओ के सम्बन्ध आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने पर्यवेक्षण में वांछित सूचनाएं संकलित कराकर जोन के एक ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के साथ सम्भाग के डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को अपेक्षित सूचनाएँ / विवरण के साथ **दिनॉक 05-05-2016** को मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें ताकि वि0अनु0शा0 कार्यो की विस्तृत समीक्षा कर वि0अनु0शा0 कार्यो में अपेक्षित रुचि न रखने वाले तथा निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, ।

पृष्ठाकन पत्र संख्या व दि0 उक्त।

प्रतिलिपि- सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, ।